## न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

2016/00154

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 56/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनवान :–

श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन, बीकानेर (राजस्थान)

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री पवन लूनिया पुत्र श्री हनुमानमल लूनिया जाति महाजन (विक्रेता व मालिक) मैसर्स हनुमानमल संजयकुमार, घंटाघर के पास सदर बाजार, नोखा जिला बीकानेर(राज.)
2. श्री घनश्याम लाल सोनी पुत्र श्री बंशीलाल सोनी मैसर्स अनिल कुमार अरूण कुमार एच प्रथम 7 मैन मण्डी मण्डोर रोड़, जोधपुर (राज.)– 342007
3. श्री चन्द्रशेकरन पुत्र श्री अरूमुगाम (नोमिनी निर्माता फर्म) मैसर्स– साबु ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड, 114 नरसीमन रोड़ शिवापेट, सालेम–636002 तमिलनाडु, इण्डिया । निवासी– 44, डी–53, सांकती मैन रोड़, सालेम सी, सालेम– 636006
4. मैसर्स– साबु ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड, 114 नरसीमन रोड़ शिवापेट, सालेम–636002 तमिलनाडु, इण्डिया

अप्रार्थीगण

*प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011*

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी सं. 1 – श्री एन.के.राठी अधिवक्ता
3. अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की ओर से – अनुपस्थित

–: निर्णय :– दिनांक 20.09.2018

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री मुरारीलाल शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) ने दिनांक 04.12.2015 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स हनुमानमल संजय कुमार, घंटाघर के पास, सदर बाजार नोखा (विक्रेता एवं मालिक) श्री पवन लूनिया के यहां फर्म का निरीक्षण दौरान साबुदाना (सच्चा मोती) 40 थैली प्रत्येक 500 ग्राम आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुवे थे। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त साबुदाना (सच्चा मोती) 4 थैली प्रत्येक 500 ग्राम साबुदाना (सच्चा मोती) नमूना हेतु संग्रह कर कुल कीमत रू. 160/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा, विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर चार सीलबन्द

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर



Scanned by CamScanner

पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिपोर्ट LS.4143/Act/ 2015/1569 दिनांक 11.02.2016 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें साबुदाना (सच्चा मोती) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा साबुदाना (सच्चा मोती) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री एन.के.राठी अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किये गये लेकिन इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से साबुदाना (सच्चा मोती) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Sabudana (Sachamoti Agmark) bearing Code No. and Sr. No. AB-648 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है। Nutritional information Given BUT NOT AS PER FORMAT AS GIVEN IN REGULATION (जो कि विनियम 2.2.2(3)(पप)खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 का उल्लघंन है) इस प्रकार अप्रार्थी के यहां साबुदाना (सच्चा मोती) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के बिन्दुओं को अस्वीकार कर अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि अप्रार्थी 1 न तो निर्माता है और न ही अधिकृत स्टोकिस्ट एवं कमीशन ऐजेन्ट है। अप्रार्थी संख्या 1 केवल मात्र खुदरा व्यवसायी है। अप्रार्थी संख्या 2 से बिल संख्या 7211 दिनांक 8.10.15 द्वारा खरीद किये गये माल को सील पैक अवस्था में विक्रय किया गया था। माल की क्वालिटी, ब्राण्ड एवं अन्य खाद्य सुरक्षा मानक की कमी के लिए अप्रार्थी संख्या 1 को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसका उत्तरदायी अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 है। अप्रार्थी संख्या 1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 का दोषी नहीं है। अतः जवाब में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुवे अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर



Scanned by CamScanner

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये साबुदाना (सच्चा मोती) ब्राण्ड की सैम्पलिंग रिर्पोट में साबुदाना (सच्चा मोती) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS.4143/Act/ 2015/1569 दिनांक 11.02.2016 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में में The sample of " Sabudana (Sachamoti Agmark) bearing Code No. and Sr. No. AB-648 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां साबुदाना (सच्चा मोती)मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

6. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पैक्ड साबुदाना (सच्चा मोती) (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत **70,000/–** अखरे रूपये **सत्तर हजार रूपये** की शास्ति आरोपित की जाती है।

7. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

8. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का ही परिलक्षित होता है । अतः कुल आरोपित शास्ति रू. 70000/– में से रूपये 50,000/– अखरे पचास हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 3 व 4 समान रूप से 1/2 शास्ति राशि यानि 25,000/–, 25,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 भरने हेतु दायी होगें।

9. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में विक्रेता एवं वितरक का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें। परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री पैक्ड साबुदाना (सच्चा मोती) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय एवं वितरण किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official



Scanned by CamScanner

आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 3 व 4 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 20,000/– अखरे **बीस हजार** रूपये में से अप्रार्थी संख्या 2 की शास्ति रू. 15,000/– अखरे रूपये पन्द्रह हजार एवं अप्रार्थी संख्या 1 की शास्ति रू 5,000/– अखरे रूपये पांच हजार भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार आरोपित **सत्तर हजार** रूपये की शास्ति राशि में से पचास हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 3 व 4 प्रत्येक 25–25 हजार रूपये (विनिर्माता) एवं अप्रार्थी संख्या 2 (वितरक) की शास्ति राशि रू. 15 हजार एवं अप्रार्थी संख्या 1 (विक्रेता) 5 हजार रूपये की शास्ति राशि अदा करेगें।

10. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 2 ता 4 को रजिस्टर्ड डाक से तथा अप्रार्थी पक्ष संख्या 1 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

( ए.एच.गौरी )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner